संख्या- 7/2021/4107/96-आयुष-1-2020-200/2020

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
यूनानी सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊ; दिनांक 13 जनवरी, 2021**

विषय-राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ एवं राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज में गठिया उपचार एवं शोध केन्द्र की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2172/यू0नि0/1263-योजना/2020-21; दिनांक 06.11.2020 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ एवं राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज में गठिया उपचार एवं शोध केन्द्र की स्थापना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-33 के अंतर्गत मूल्यांकित धनराशि रू0-24.63 लाख (रूपया चौबीस लाख तिरसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1- निदेशक, यूनानी सेवायें एवं संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24.03.2020 तथा शासनादेश दिनांक 11.04.2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, यूनानी सेवायें एवं संबंधित प्रधानाचार्य का होगा।

3- स्वीकृति धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत दी गयी है।

4- निदेशक, यूनानी सेवायें एवं संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

5- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

6- निदेशक, यूनानी सेवायें एवं संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा पदों के सृजन की अनुमति प्राप्त होने तक केन्द्र का संचालन महाविद्यालय में उपलब्ध स्टाफ के माध्यम से कराया जायेगा। इस हेतु उन्हें कोई अतिरिक्त मानदेय देय नहीं होगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-33 के लेखाशीर्ष : 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, 103-यूनानी, 04-राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज लखनऊ एवं प्रयागराज में गठिया उपचार एवं शोध केन्द्र 00 के विभिन्न मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-7/2021/4107(1)/96-आयुष-1-20, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ/प्रयागराज।
(4) वित्त नियंत्रक, यूनानी सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ।
(6) प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज।
(7) आयुष अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

राजेन्द्र प्रसाद यादव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 7/2021/4107/96-आयुष-1-2020-200/2020, दिनांक 13.01.2021 का संलग्नक

(धनराशि रूपये लाख में)

मानक मद	राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय लखनऊ हेतु स्वीकृत	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय प्रयागराज हेतु स्वीकृत	कुल योग
1	2	3	4
08-कार्यालय व्यय	1.40	1.40	2.80
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.005	0.005	0.01
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.25	1.25	2.50
39-औषधि तथा रसायन	4.00	4.00	8.00
42-अन्य व्यय	5.655	5.655	11.31
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	0.005	0.005	0.01
योग	12.315	12.315	24.63

राजेन्द्र प्रसाद यादव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।